

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्य प्रदेश

क0 9/नर्सिंग/सेल-3/2015/815  
प्रति,

भोपाल दिनांक 21/07/2015

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/  
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक  
जिला उज्जैन, जबलपुर, सिवनी, टीकमगढ़, भोपाल  
इंदौर, विदिशा, देवास, धार, मंदसौर, बालाघाट, रतलाम  
मध्यप्रदेश

विषय :- एम.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम वर्ष 2015-16 में प्रवेश हेतु अनुमति बावत्।

आपके कार्यालय में कार्यरत निम्नानुसार कर्मचारियों को स्वयं के व्यय पर एम.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम वर्ष 2015-16 में प्रवेश की अनुमति निम्नानुसार शर्तों के अधीन दी जाती है :-

1	श्रीमती. एस्तर लाल जोसफ, सिस्टर ट्यूटर, शासकीय बी. एस. सी. नर्सिंग महाविद्यालय उज्जैन	स्वयं के व्यय पर	अध्ययन अवकाश की पात्रता न होने के कारण अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा। खाते में शेष अवकाश नियमानुसार स्वीकृत कर शेष अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने बावत् सशर्त अनुमति दी जाती है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन 7 वर्ष कार्य करने के लिये अनुबंध पत्र प्राप्त करना होगा।
2	श्रीमती जानकी ठाकुर, सिस्टर ट्यूटर, शासकीय रानी दुर्गावती नर्सिंग कालेज जबलपुर	स्वयं के व्यय पर	अध्ययन अवकाश की पात्रता न होने के कारण अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा। खाते में शेष अवकाश नियमानुसार स्वीकृत कर शेष अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने बावत् सशर्त अनुमति दी जाती है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन 7 वर्ष कार्य करने के लिये अनुबंध पत्र प्राप्त करना होगा।
3	श्रीमति मालती ध्यानी, सिस्टर ट्यूटर, जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र सिवनी	स्वयं के व्यय पर	अध्ययन अवकाश की पात्रता न होने के कारण अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा। खाते में शेष अवकाश नियमानुसार स्वीकृत कर शेष अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने बावत् सशर्त अनुमति दी जाती है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन 7 वर्ष कार्य करने के लिये अनुबंध पत्र प्राप्त करना होगा।
4	श्रीमति रजनी जनवदे, स्टाफ नर्स माधवनगर शासकीय चिकित्सालय उज्जैन	स्वयं के व्यय पर	अध्ययन अवकाश की पात्रता न होने के कारण अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा। खाते में शेष अवकाश नियमानुसार स्वीकृत कर शेष अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने बावत् सशर्त अनुमति दी जाती है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन 7 वर्ष कार्य करने के लिये अनुबंध पत्र प्राप्त करना होगा।
5	श्रीमति सरोज सक्सेना, सिस्टर ट्यूटर, महिला बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केन्द्र टीकमगढ़	स्वयं के व्यय पर	अध्ययन अवकाश की पात्रता न होने के कारण अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा। खाते में शेष अवकाश नियमानुसार स्वीकृत कर शेष अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने बावत् सशर्त अनुमति दी जाती है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन 7 वर्ष कार्य करने के लिये अनुबंध पत्र प्राप्त करना होगा।








उपरोक्त चयनित नर्सिंग कर्मचारियों को निजी संस्थाओं से एम.एस.सी. नर्सिंग पाठयक्रम में प्रवेश प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करने की स्थिति में ही कार्यमुक्त करना होगा। कार्यमुक्त करने से पूर्व उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई शर्तों के अनुसार लिखित में सहमति एवं अनुबंध पत्र प्राप्त करने के पश्चात् इन्हें कार्यमुक्त करने की कार्यवाही करें।

अध्ययन अवकाश की पात्रता होने पर निर्धारित प्रारूप में अवकाश आवेदन भरकर भेजें एवं अध्ययन अवकाश की पात्रता न होने की स्थिति में कर्मचारियों के खातों में शेष अवकाश पात्रता के अनुसार अवकाश आवेदन पत्र प्राप्त कर संचालनालय को प्रेषित करें एवं शेष अवधि के अवकाश का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने की कार्यवाही करें। स्वीकृत अवकाश अनुसार वेतन आहरण की कार्यवाही की जावे। कर्मचारियों द्वारा एम.एस.सी. नर्सिंग में प्रवेश संबंधित प्रमाण(प्रोविजनल एडमिशन) प्रस्तुत करने के पश्चात् ही इन्हें कार्यमुक्त कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करायें।

  
(डॉ.जे.एल.मिश्रा)  
संचालक(नर्सिंग)  
स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क० 9/नर्सिंग/सेल-3/2015 /

भोपाल दिनांक /7/2015

प्रतिलिपि — सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य मध्यप्रदेश।
2. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन, जबलपुर, खालियर, भोपाल एवं इंदौर संभाग मध्यप्रदेश।
3. प्राचार्य बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज जबलपुर, उज्जैन एवं जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र सिवनी, महिला बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केन्द्र टीकमगढ़, जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र विदिशा म.प्र.।
4. संबंधित कर्मचारियों की ओर पालनार्थ।

संचालक(नर्सिंग)  
स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश